न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील संख्या :–04/2019/भीलवाड़ा (2019/00004)

1- बालू पुत्र धन्ना, जाति तेली, निवासी ग्राम मोखुन्दा, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा।

अपीलांट्स

बनाम

1. लादूलाल पुत्र दौला, जाति तेली, निवासी ग्राम मोखुन्दा, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रायपुर, जिला भीलवाड़ा।

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, रायपुर दिनांक 29.06.2018

उपस्थितः–

1. श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक अपीलांट उपस्थित।
2. रेस्पो सं01 के अभिभाषक अनुपस्थिति।
3. रेस्पो0 सं02 के राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 21.01.2020

अपीलांट ने यह अपील विद्वान तहसीलदार (भू.अ.), रायपुर (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

1- यह कि प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लादू लाल पुत्र दौला ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम तहसीलदार रायपुर के सक्षम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मौखुन्दा आराजी संख्या 1133 रकबा 1.21 हैक्टर मे से रकबा 0.15 हैक्टर श्री बालू पिता धन्ना तेली को दिनांक 21.12.2004 को आवंटित की गई। आवंटि को आवंटित भूमि जहां सुपुर्द की गई थी, उस जगह काबिज नही होकर इसी आराजी की अन्य भूमि पर, काबिज होकर रास्ता अवरूद्ध कर रखा है। प्रार्थी को आवंटित भूमि का नक्शा ट्रेस अनुसार वर्तमान नक्शे में तरमीम का संशोधन करा अतिक्रमणशुदा भूमि एवं अवरूद्ध रास्ते को खुलासा कराने के आदेश फरमावें। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने

निर्णय दिनांक 29.06.2018 से प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा लिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।XX

2- अपील Sub. to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत एवं बाद तामिल रेस्पोडेन्ट के अनुपस्थित रहने पर रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण में विद्वान अपीलान्ट अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।XX

3- अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलान्ट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2018 का अवैधानिक रूप से बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये उनकी खातेदारी की आराजीयात बाबत् नक्शा दुरूस्ती कर अन्यत्र दर्ज किये जाने की आदेश उपरान्त पटवारी हल्का से राजस्व अभिलेख की नकल हाल ही मे दिनांक 08.01.2019 को पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर नकल लिये जाने पर आदेश दिनांक 29.06.2018 बाबत् जानकारी हुई जिस पर प्रमाणित प्रति मूल निर्णय दिनांक 08.01.2019 हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं प्रमाणित प्रति दिनांक 14.01.2019 को मिलने के उपरान्त जानकारी की दिनांक से अपील प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी को पूर्व में कतई जानकारी नही रही है। प्रार्थी गरीब, अनपढ काश्तकार है जिन्हें खातेदारी की आराजीयात बाबत नक्शे मे किये गये अंकन बाबत जानकारी पूर्व में नही हुई है। प्रार्थी द्वारा उक्त बाबत पटवारी हल्का से सम्पर्क किया जिस पर राजस्व अभिलेख में खातेदारी नक्शे से हटाये जाने बाबत पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी को अवगत कराया गया तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना किसी देरी के उक्त अपील जानकारी की दिनांक से प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया। हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के मियाद के बिन्दू पर किये गये तर्को तथा जबाव पर गौर किया एंव इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय समय पर प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है ।XX

4- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के दौराने बहस अपील मेमों में उल्लेखित तथ्यों को ताईद करते हुए कथन किया गया वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 2164/1133 रकबा 0.15 हैक्टर भूमि दिनांक 21.12.2004 को अपीलान्टस से विधिवत रूप से आंवटित की जाकर नामान्तरकरण गैर खातेदारी का अपीलान्टस के नाम कब्जा सुपुर्द कर कब्जा स्वीकृत किया गया। इसके पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 265 दिनांक 31.03.2010 से उक्त आराजीयात अपीलान्टस की खातेदारी मे चली जा रही है जिस बाबत

राजस्व नक्शे मे तरमीम की हुई है एवं उक्त भू–भाग का अपीलान्ट्स बहैसियत काबिज चला आ रहा है। धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी जो कि लैण्ड रिकार्ड आफिसर है, को अधिनियम के अनुसार दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो संधारण योग नही है। जिस पर बिना खातेदारान अपीलान्ट्स को पक्षकार बनाये बिना, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए, प्रार्थना पत्र पर ही रिपोर्ट पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक दिनांक 22.06.2018 को तलब की गई है। राजस्व अभिलेख मे दुरूस्ती किए जाने के आदेश पारित किए गए है। जो कि प्रथम दृष्टया ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से बिना खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किए पारित किए जाने से क्षेत्राधिकार विहिन आदेश होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 29.06.2018 निरस्त फरमायें जाने का निवेदन किया। XX

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया गया हमने पाया कि रेस्पोडेन्ट लादूलाल पि0 दौला तेली ने मुकद्मा न0 121/2018 रिकार्ड दुरस्ती हेतु राजस्व अभियान के दौरान दिनांक 22.06.2018 को प्रार्थना पत्र रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत विद्वान तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र पर ही रिपोर्ट पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक मोखुन्दा से दिनांक 22.06.2018 को तलब की गई एंव उक्त एकपक्षीय रिपोर्ट डी0न0 121/18 दिनांक 29. 06.2018 के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात बाबत् राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती किये जाने के आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये उसी दिवस दिनांक 29.06.2018 को पारित कर दिये गये । विद्वान तहसीलदार का अपीलाधीन आदेश ना केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है बल्कि क्षेत्राधिकार के बाहर है क्योंकि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत भू अभिलेख अधिकारी सेटलमेंट खत्म होने के उपरान्त ऐसी त्रृटि को दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को है । विद्वान तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय व निर्णय दिनांक 29.06.2018 क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी रायपुर को प्रकरण को इस निर्देश के साथ निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर विधिसंगत निर्णय पारित करें ताकि अपीलार्थी व रेस्पोडेंन्ट दोनों को अपना पक्ष पुनः रखने व सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर प्राप्त हो सके। XX

—:क्रियात्मक आदेशः—

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या एलआर/04/2019 (2019/00004) बउनवानी बालू पुत्र धन्ना बनाम लादूलाल पुत्र दौला को आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार,रायपुर जिला भीलवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2018 को अपास्त किया जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी रायपुर को प्रकरण को उभयपक्षों को सुना जाकर विधिसंगत निस्तारण के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.02.10 12:16:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: